न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

भू–राजस्व निगरानी संख्या– 62/2012–13

श्रीमती बाला देवी
–बनाम–
श्री याकूब अली आदि

उपस्थितिः श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।

बावत
मौजा हजाराग्रान्ट, परगना रूड़की,
जिला हरिद्वार।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्ता ने विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा निगरानी संख्या–24 वर्ष 2001–02 याकुब अली बनाम श्रीमती बाला देवी आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 22–05–2013 के विरूद्व योजित की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के बावत पंजीकृत वसीयत दिनांक 30–08–96 के आधार पर निगरानीकत्री श्रीमती बाला देवी ने एक नामान्तरण वाद तहसीलदार, हरिद्वार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिपक्षी संख्या–1 याकूब ने आपत्ति प्रस्तुत की कि वसीयतकर्ता ने उसके पक्ष में प्रश्नगत सम्पत्ति की एक वसीयत दिनांक 19–11–96 निष्पादित की गई है। अतः प्रश्नगत सम्पत्ति बावत अन्तिम वसीयत होने के आधार पर उसके नाम पर दाखिल खारिज स्वीकार किया जाय। तहसीलदार, हरिद्वार ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त निर्णयादेश दिनांक 04–02–98 से निगरानीकत्री के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयत दिनांक 30–08–96 के आधार पर उसका नाम प्रश्नगत भूमि पर दर्ज करने के आदेश पारित किए गए। इस आदेश के विरूद्व प्रतिपक्षी श्री याकूब अली ने सहायक कलेक्टर, हरिद्वार के न्यायालय में अपील योजित की जो निर्णयादेश दिनांक 27–07–99 से निरस्त हुई। इस आदेश से क्षुब्ध होकर प्रतिपक्षी याकूब अली ने विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी के समक्ष निगरानी दायर की जो विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश दिनांक 22–05–2013 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार का आदेश दिनांक 27–07–99 निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः अपीलीय न्यायालय को गुणदोष के आधार पर निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। विद्वान अपर आयुक्त के निर्णयादेश दिनांक 22–05–2013 के विरूद्व निगरानीकत्री ने यह निगरानी योजित की है।

इस निगरानी में प्रतिपक्षीगण को नोटिस प्रेषित किए गए, परन्तु तामीली के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप अधिवक्ता निगरानीकत्री

की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों का सम्यक अध्ययन किया गया।

अधिवक्ता निगरानीकत्री का तर्क है कि निगरानीकत्री के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 30–08–96 को राजगिर पुत्र परसागिर निवासी हजारा ग्रन्ट ने सम्पादित की थी जिसके आधार पर श्रीमती बाला देवी ने तहसीलदार, हरिद्वार के न्यायालय में नामान्तरण वाद प्रस्तुत किया जो दिनांक 04–02–90 को निगरानीकत्री के पक्ष में निर्णीत हुआ। विपक्षी याकूब अली ने भी वसीयत दिनांक 19–11–96 के आधार पर एक वाद तहसीलदार, हरिद्वार के न्यायालय में योजित किया जिसमें उसने यह बताया कि राजगिर ने उसके पक्ष में सेवा करने के आधार पर एक वसीयत सम्पादित की है। इन दोनों पत्रावलियों की अधीनस्थ न्यायालय ने एकसाथ सुनवाई की जिसमें निगरानीकत्री ने अपनी वसीयत दिनांक 30–08–96 के हाशिये के गवाह देव सिंह व रतनगिर के बयान दर्ज करवाये और विवादित भूमि पर अपना कब्जा साबित किया और प्रतिपक्षी ने अपने हाशिये के गवाहों से अपनी वसीयत को पुष्ट कराने की कोशिश की। निगरानीकत्री ने लिखित साक्ष्य में न्यायाल प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन, हरिद्वार में वाद संख्या–364 वर्ष 1993 धारा–202 सी0आर0पी0सी0 में मृतक राजगिर पुत्र परसागिर द्वारा 16–10–95 को याकूब अली के विरूद्व दिये गये बयान की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपियां न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें यह तथ्य सिद्व किया गया था कि याकूब अली की राजगिर से दुश्मनी थी इसलिए राजगिर याकूब अली के पक्ष में वसीयत सम्पादित नहीं कर सकता था। याकूब अली की वसीयत कूट रचित थी। विचारण न्यायालय ने गुणदोष के आधार पर सुनवाई के उपरान्त निर्णयादेश पारित कर निगरानीकत्री का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश पारित किए थे। तहसीलदार के आदेश के विरूद्व प्रतिपक्षी याकूब की ओर से योजित अपील में भी अवर अपीलीय न्यायालय ने भी दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरान्त गुणदोष के आधार पर अपील निरस्त की है। अधीनस्थ निगरानी न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निगरानी को स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय को पुनः गुणदोष के आधार पर सुनवाई हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय में वसीयत को पूर्णतः सिद्व किया गया था, अतः अपर आयुक्त का आदेश त्रुटिपूर्ण एवं निरस्त होने योग्य है। अधिवक्ता निगरानीकत्री द्वारा अपर आयुक्त के निर्णयादेश में संदर्भित न्यायिक व्यवस्था 2000 आर0एल0टी0 18 कलावती देवी बनाम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मा0 उच्चतम न्यायालय की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया।

न्यायालय तहसीलदार की वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार न्यायालय में निगरानीकत्री ने विवादित भूमि के बावत प्राप्त पंजीकृत वसीयत एवं प्रतिपक्षी श्री याकूब अली ने अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरण वाद प्रस्तुत किये। इन नामान्तरण वादों को तहसीलदार ने संकलित करते हुए वाद की सुनवाई की। वाद पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि निगरानीकत्री ने उसके हक में प्राप्त वसीयत के हाशिये के गवाहों

से अपनी वसीयत को पुष्ट कराया है जबकि प्रतिपक्षी ने भी अपनी वसीयत के हाशिये के गवाहों के बयान न्यायालय में अभिलिखित करवाये। निगरानीकत्री ने सिविल न्यायालय में योजित परिवाद में वसीयतकर्ता राजगिर द्वारा प्रतिपक्षी श्री याकूब अली के विरूद्व दिया गये बयान दिनांक 16–10–95 की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भी तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत की जिससे यह सिद्व हुआ कि वसीयतकर्ता एवं प्रतिपक्षी याकूब अली के बीच मतभेद थे अतः उनके पक्ष में वसीयत निष्पादित होना संदेहास्पद है। निगरानीकत्री की ओर से तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों ने उसके पक्ष में सम्पादित वसीयत की पुष्टि की है। तहसीलदार द्वारा भली–भाँति परीक्षण के पश्चात निर्णयादेश दिनांक 04–02–98 पारित किया गया है। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार ने भी अपील को भली–भाँति परीक्षण के पश्चात अपने निर्णयादेश दिनांक 27–07–99 से निरस्त किया। विद्वान अपर आयुक्त के निर्णयादेश दिनांक 22–05–2013 का अवलोकन किया गया। इस निर्णयादेश के पृष्ठ–3 के प्रथम पैरा में यह उल्लिखित किया गया है कि विधिक प्राविधानों के अनुसार पंजीकृत वसीयत को अपंजीकृत वसीयत से निरस्त नहीं किया जा सकता है। विद्वान अपर आयुक्त द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2000 आर0एल0टी0 18 कलावती देवी बनाम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को भी अपने निर्णयादेश में उद्वरित किया गया है जिसमें यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि पंजीकृत वसीयत को गैर पंजीकृत वसीयत द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता। यह न्यायालय इस दृष्टान्त से पूर्णतः सहमत है। विद्वान अपर आयुक्त द्वारा निर्णयादेश में यह भी उल्लिखित किया गया है कि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह विदित हो कि बालादेवी के पक्ष में निष्पादित वसीयत को किसी पंजीकृत अभिलेख/वसीयत द्वारा निरस्त किया गया हो। अतः अवर निगरानी न्यायालय का यह विवेचन की प्रतिपक्षी याकूब अली के पक्ष में निष्पादित वसीयत का पर्याप्त परीक्षण अवर न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, त्रुटिपूर्ण है। अवर अपीलीय न्यायालय एवं विचारण न्यायालय ने भली–भाँति परीक्षण एवं गुणदोष के आधार पर निर्णयादेश पारित किये हैं जिसमें निगरानीकत्री के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयत को पूर्णरूप से सिद्व पाया गया है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी स्वीकार करने योग्य है एवं विद्वान अपर आयुक्त द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 22–05–2013 निरस्त होने योग्य है।

निगरानी स्वीकार की जाती है एवं विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी का निर्णयादेश दिनांक 22–05–2013 निरस्त किया जाता है तथा अवर अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 27–07–99 एवं विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 30–08–96 की पुष्टि की जाती है।

दिनांकः 16 मई, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।